25.2

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :– भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबधं में ।

K. Gupta
27/01/25

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं वसंती देवी पति श्री प्रकाश साव

ग्राम चाराडीह पो० करमा थाना कोडरमा

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा चेन्चाई
2. थाना कोडरमा
3. थाना न0 335
4. खाता न0 50
5. प्लॉट न0 364 /1632
6. रकवा 09 डी0
7. भूमि का किस्म रैयती
8. अधतन रसिद न0
9. दा0 खारिज वाद संख्या 3326 /2021 – 2022

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

न्यायालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या :–......173......../2023

20.03.2023

आवेदिका बसंती देवी, पति–प्रकाश साव, ग्राम–चाराडीह, पोस्ट–करमा, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
चेचाई	335	50	364/1632	09 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ हीं आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ......28/......03....../2023 को प्रस्तुत करें।

20/03/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

28.3.2023

अभिलेख उपस्थापित।

18.04.2023

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–चेचाई, थाना नं0–335 के ऑनलाईन पंजी–II के पृ0सं0–31 भाग संख्या–13 पर खाता नं0–50, प्लॉट नं0–364/1632, रकवा–09 डी0 भूमि बसंती देवी, पति–प्रकाश साव के नाम से ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला संख्या–3640 दिनांक 31.10.2016 के द्वारा हासिल है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल–खारिज वाद संख्या–3326/2021–22 दर्ज है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या–15 दिनांक 14.12.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–चेचाई, थाना नं0–335, खाता नं0–50, प्लॉट नं0–364/1632, रकवा–09 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत् निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

18/04/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.09.16 13:55:23 +05:30
Location: 192.168.29.246